

# फर्ड अहकॉम




(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

मौदाराम / कालूराम जाति जाट निं. बनाम. मानाराम / भीथाराम जाति सेवक  
उण्डू तह. - शिव निं. - उण्डू तह. - शिव

कौंरा - 11

किस्म मुकदमा राज० आवेदन अधि. मुकदमा नम्बर 218 / 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व दिनांक अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/11/2020	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री <u>बृजमोहन कुमावत (Adv.)</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम/भू-राजस्व अधिनियम के अर्न्तगत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हे। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली करते जवाब दिनांक 16/12/2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी शिव</p>	
16/12/20	<p>फावली पेश है प्रार्थी अधिवक्ता श्री फावली कार्ते विप्राधीगण को जेजे जके नोटिसों का इन्जार् होकर पत्रावली आइन्दि. 11/12 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी शिव (बाड़मेर)</p>	
7/1/21	<p>फावली पेश है प्रार्थी अधिवक्ता उप। फावली में विप्राधीगण के जोखिय तामिल प्राप्त हुये जो इन्जार् पत्रावली किया गया। फावली कार्ते विप्राधीगण का इन्जार् होकर पत्रावली आइन्दि. 15/1/21 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी शिव (बाड़मेर)</p>	



नम्बर  
अहकाम  
हुकम की  
में जारी हुए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

25.6.25 पत्रावली पेशी वाकुलाम उपस्थित।  
पत्रावली का अणुतोषण किया गया।  
पत्रावली वास्ते आगामी तारीख पेशी  
पर पटवारी हल्का स्वंप को  
उपस्थिति हेतु लगान किया जाकर  
दिनांक 11.07.25 को पेश हो।

11.7.25 पत्रावली पेश हुई।  
प्रार्थी/ विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।  
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के  
कारण इत्तबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार  
दिनांक 29.8.25 को पेश हो।

29.08.25 पत्रावली पेशी वाकुलाम उपस्थित।  
पत्रावली वास्ते पूर्वानुसार दिनांक 29.09.25 को  
पेश हो।

29.09.25 पत्रावली पेशी वाकुलाम उपस्थित।  
हल्का पटवारी स्वंप उपस्थित।  
प्रार्थी वकील द्वारा अपनी बहस में विवेदन  
किया कि सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार हो जाकर  
नेपथंबदी आदेश परिलिपि किया जावे।  
विश्वनी वकील द्वारा अपनी बहस में इतना  
कि भूमि दोषरत्नेप होने से नाम संभव  
नहीं है। अतः आवेदन खारिज करवाया  
जावे। हल्का पटवारी द्वारा बताया गया कि

तारीख  
हुवम

हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर  
अवकाश  
हुवम  
में जारी

मीला इच्छु की लीफाव ओवरलेप होने से नाप  
 किला जाना संभव नहीं है। कार सेटलमेंट  
 से नाप सही नहीं है। पूर्व से भी  
 कई बार राजस्व कमेटी का गठन  
 किला जा चुका है तथा सेटलमेंट मींग  
 टाप भी होके पर शाकर पैमार्शिकी  
 गार्ड किडु नाप नहीं किला जा सका  
 अतः नाप / पैमार्शिकी संभव नहीं होने  
 से आवेदन खारिज फाटला जावे।

इच्छुपन्न अधिवक्ता एवं हक्का फलवाली  
 को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध  
 रस्तावेजात का इच्छुपन्न किला गया।  
 अतः अतः इच्छु की शक्ति की लीफाव  
 आपस में ओवरलेप ले रही है, जिससे  
 सीमादान व नेपमकंदी की कार्यवाही की  
 जाना संभव नहीं है। अतः इस  
 स्थिति में विवादित आवासी ओवरलेप  
 होने से सीमादान व नेपमकंदी कार्यवाही  
 संभव नहीं होने से आवेदन अस्वीकार  
 किला जाकर खारिज किला जाय है।

पत्रावली जैसत होकर नम्बर के  
 कर होकर तखिल दफ्तर हो।



कार्यालय ल  
 नम्बर / अ.अ./2025/ 8  
 प्रेषित:- श्रीमान उपख  
 शिव

विषय:- राजस्व ?  
 में ल

प्रसंग :-  
 महोदय

व